

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

पत्रांक:-3/पी०एम०सी०/कार्य/137/2016 (खण्ड-II)/राँची, दिनांक:

प्रेषक:

ई. राजेन्द्र प्रसाद,
उप सचिव (अभियंत्रण)

सेवा में,

महालेखाकार
झारखण्ड,
पो.-हिन्तू राँची।

द्वारा: आन्तरिक वित्तीय सलाहकार।

विषय: लघु सिंचाई प्रक्षेत्राधीन चतरा जिला के प्रतापपुर प्रखंड अंतर्गत पुनाही डैम के आउटलेट निर्माण लागत राशि रु. 1.176 लाख (रूपये एक लाख सतरह हजार छः सौ) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति के संबंध में।

आदेश-स्वीकृति।

1. लघु सिंचाई प्रक्षेत्राधीन चतरा जिला के प्रतापपुर प्रखंड अंतर्गत पुनाही डैम के आउटलेट निर्माण लागत राशि रु. 1.176 लाख (रूपये एक लाख सतरह हजार छः सौ) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जाती है।
2. इस योजना की कुल लागत राशि रु. 1.176 लाख है। उक्त योजना के पूर्ण होने के उपरांत लगभग 5 हे. खरीफ सिंचन क्षमता के पुनर्जीवित होने का अनुमान है। इस कार्य का इंसीडेंस ऑफ कॉस्ट रु. 23,520/-प्रति हेक्टेयर आकलित है।
3. उक्त योजना के प्राक्कलन पर सक्षम पदाधिकारी द्वारा तकनीकी स्वीकृति प्राप्त है।
4. यह कार्य मुख्य मंत्री जनसंवाद से आच्छादित है।
5. विचाराधीन योजना की प्रशासनिक स्वीकृति निम्नशर्तों के साथ प्रदान की जाती है :-
 - (क) कार्य के पूर्व, कार्य कराने के दौरान प्रत्येक 15 दिनों की अवधि पर एवं कार्य करने के बाद कार्य स्थल का स्टिल फोटोग्राफी एवं विडियोग्राफी कराया जाएगा।
 - (ख) नियमानुसार कार्य प्रारंभ करने के पूर्व प्री-लेवल माप पुस्त में अंकित किया जाएगा एवं इसकी शत प्रतिशत जाँच सहायक अभियंता के द्वारा एवं (50%) पचास प्रतिशत जाँच कार्यपालक अभियंता द्वारा की जाएगी। प्री-लेवल की जांच असम्बद्ध प्रमंडल से कराने के उपरांत कार्यकारी प्राक्कलन तैयार किया जायगा।
 - (ग) योजना के कार्यान्वयन के पूर्व जल की उपलब्धता, कमाण्ड क्षेत्र के आकलन तथा प्राक्कलन के मद एवं मात्रा की जाँच मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई, राँची द्वारा सक्षम प्राधिकार से कराना सुनिश्चित किया जाएगा। सिंचाई हेतु आउटलेट (गेट चालित/स्लूइस वाल्व) का निर्माण कमांड एरिया के लेवल के अनुसार होगा।
 - (घ) कराये जाने वाले कार्य की प्रकृति के अनुरूप अनुसूचित दर के मद को रखते हुए प्राक्कलन की स्वीकृति सक्षम पदाधिकारी द्वारा दी जाएगी।

- (ड) योजना के कार्यान्वयन के पूर्व कार्यकारी प्राक्कलन में Manual Labour को प्राथमिकता दी जाएगी एवं इससे संबंधित मदों का यथास्थित समावेश करते हुए प्राक्कलन की स्वीकृति दी जाएगी।
- (च) वैसी योजनाओं का कार्यान्वयन नहीं कराया जायगा जिस योजना पर विगत पाँच वर्षों में किसी भी मद से पुनर्स्थापन / जीर्णोद्धार का कार्य कराया गया है।
- (छ) इस योजना का निर्माण लोक निर्माण संहिता में निहित प्रावधानों के अंतर्गत किया जाएगा। योजना निर्माण प्रारम्भ करने के पूर्व लाभुक समिति का गठन किया जाएगा, जिनपर योजना के रख-रखाव का दायित्व होगा। जिस कार्यस्थल पर योजना के संचालन एवं रख-रखाव का दायित्व ग्रहण करने का लिखित सहमति लाभुक समिति से प्राप्त नहीं होगा, उस स्थल पर योजना निर्माण कार्य आरम्भ नहीं किया जायेगा।
- (ज) उपरोक्त कंडिका '5' (क), (ख), (ग), (घ), (ङ), (च) एवं (छ) के सम्पुष्टि के उपरान्त ही योजना का कार्यान्वयन प्रारंभ किया जाएगा।
6. इस योजना पर होने वाला व्यय बजट शीर्ष "मुख्य शीर्ष-4702-लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय-लघु शीर्ष-101-सतही जल-उप शीर्ष-20-पुरानी लघु सिंचाई योजनाओं का सम्पोषण एवं पुनर्स्थापन-विस्तृत शीर्ष-05-निर्माण" अंतर्गत भारित हो सकेगा।
7. इस कार्य को वर्ष 2018-19 एवं 2019-20 में पूर्ण किया जाना है।
8. इस कार्य के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी कार्यपालक अभियंता, लघु सिंचाई प्रमंडल, चतरा होंगे तथा नियंत्री पदाधिकारी मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई, राँची होंगे। संबंधित कार्यपालक अभियंता की यह व्यक्तिगत जिम्मेवारी होगी कि योजना का निर्माण कार्य उत्तम गुणवत्ता का हो।
9. इस कार्य के कार्यान्वयन में विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत निर्देशों एवं अन्य विहित प्रक्रियाओं तथा मानकों का सम्यक रूप से अनुपालन करना अनिवार्य होगा।
10. झारखंड कोषागार संहिता के नियम-174 का अनुपालन दृढ़ता से किया जाएगा।
11. किसी भी स्थिति में राशि की निकासी बजट उपबंध के अंतर्गत होगा।
12. प्रस्ताव पर अपर मुख्य सचिव, जल संसाधन विभाग का अनुमोदन प्राप्त है।
13. स्वीकृत्यादेश प्रारूप पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।
14. इसे आंतरिक वित्तीय सलाहकार, झारखण्ड सरकार के द्वारा महालेखाकार, झारखण्ड, राँची को संसूचित किया जाय।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

ह0/-

(राजेन्द्र प्रसाद)

उप सचिव (अभियंत्रण)

पत्रांक:-3/पी०एम०सी०/कार्य/137/2016 (खण्ड-II)/राँची, दिनांक:

प्रतिलिपि: योजना -सह- वित्त विभाग (योजना प्रभाग) झारखण्ड सरकार/आन्तरिक वित्तीय सलाहकार, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड दो अतिरिक्त मूल प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

(राजेन्द्र प्रसाद)

उप सचिव (अभियंत्रण)

पत्रांक:-3/पी०एम०सी०/कार्य/137/2016 (खण्ड-II)/राँची, दिनांक:

प्रतिलिपि: संबंधित कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

(राजेन्द्र प्रसाद)

उप सचिव (अभियंत्रण)

पत्रांक:-3/पी०एम०सी०/कार्य/137/2016 (खण्ड-II)/राँची, दिनांक:

प्रतिलिपि:- अपर मुख्य सचिव, जल संसाधन विभाग/अभियंता प्रमुख-II, जल संसाधन विभाग/मुख्य अभियंता योजना मोनिटरिंग एवं आयोजन, राँची/मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई, राँची/उप सचिव(अभियंत्रण), जल संसाधन विभाग/अधीक्षण अभियंता, योजना, मोनिटरिंग एवं आयोजन अंचल-3/अधीक्षण अभियंता, लघु सिंचाई अंचल हजारीबाग/कार्यपालक अभियंता, लघु सिंचाई प्रमंडल चतरा/प्रशाखा पदाधिकारी-7, जल संसाधन विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित। संबंधित पदाधिकारी द्वारा सभी कंडिकाओं का अनुपालन सुनिश्चित कराया जाएगा।

ह0/-

(राजेन्द्र प्रसाद)

उप सचिव (अभियंत्रण)

पत्रांक:-3/पी०एम०सी०/कार्य/137/2016 (खण्ड-II)/राँची, दिनांक:

प्रतिलिपि: आयुक्त, उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल हजारीबाग को सूचनार्थ प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि इसकी प्रतिलिपि अपने स्तर से जिलान्तर्गत माननीय सांसद एवं विधायकगण को उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

ह0/-

(राजेन्द्र प्रसाद)

उप सचिव (अभियंत्रण)

पत्रांक:-3/पी०एम०सी०/कार्य/137/2016 (खण्ड-II)/राँची, दिनांक: 13.08.2018

प्रतिलिपि: माननीय मंत्री महोदय, जल संसाधन विभाग के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

13/08/2018

(राजेन्द्र प्रसाद)

उप सचिव (अभियंत्रण)

13/08/18